न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :-श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 - 56/2019

अनवान : -

रोहिताश कुमार पुत्र उदाराम जाति जाट निवासी घोटड़ा खालसा तहसील भादरा :- वादी

बनाम

1. रणधीरसिंह पुत्र उदाराम
2. भागीदेवी पत्नी बलवन्तसिंह
3. कान्ता चौधरी पुत्री बलवन्तसिंह
4. नीतू चौधरी पुत्री बलवन्तसिंह
5. प्रदीप चौधरी पुत्र बलवन्तसिंह

(1 से 5) जाति जाट निवासी सरकारी हॉस्पीटल के पास साहवा तहसील तारानगर जिला चुरू

6. परमेश्वरी पत्नी उदाराम जाति जाट निवासी घोटड़ा खालसा तहसील भादरा
7. इन्द्रावती पुत्री उदाराम पत्नी इन्द्रसिंह जाति जाट निवासी भूतन जिला फतेहाबाद
8. सुशीला पुत्री उदाराम पत्नी देवीलाल जाति जाट निवासी गाजूसर तहसील सरदारशहर जिला चुरू
9. गायत्री पुत्री उदाराम पत्नी सन्तलाल जाति जाट निवासी राजास तहसील सरदारशहर जिला चुरू
10. हरदयाल पुत्र तुलछाराम
11. रामजस पुत्र हरदयाल

(10 व 11) जाति जाट निवासी डाबडी छोटी तहसील तारानगर जिला चुरू

12. पीएनबी बैंक शाखा साहवा जरिये शाखा प्रबंधक पीएनबी बैंक
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:-प्रतिवादीगण

दावा बाबत : खाता विभाजन अन्तर्गत
धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति : वकील श्री महेन्द्र जांगिड़ : वादी
वकील श्री नरेश कुमार :प्रतिवादी सं0 6ता9
वकील श्री विनोद पूनियां : प्रतिवादी सं0 11

निर्णय दिनांक: 29.11.2022

संक्षेप मे दावा के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मोजा घोटड़ा खालसा के खाता सं0 45/48 के खसरा सं0 17 की 4.1740है0, खसरा सं0 20 की 5.3110 है0, खसरा सं0 59 की 10.5470 है0, खसरा सं0 63 की 5.8170 है0, खसरा सं0 78 की 5.7410 है0 कुल खसरा 5 की 31.5900 है0 बारानी वादभूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। यही बिनाय दावा है।

विवादित कृषि भूमि का पक्षकारान के मध्य काफी अर्सा पहले वाहमी बंटवारा हो गया था जिस पर वादभूमि के अलग अलग खेत बने हुए है तथा पक्षकारान ने अपने अपने हिस्सा की भूमि को उपजाउ व समतल आदि भी करवाया है। परन्तु वादभूमि रिकार्ड माल में मुश्तर्का खातेदारी होने के चलते माल लगान आदि को लेकर आये दिन विवाद बना रहता है। इसलिये वादी वादभूमि का मुताबिक वाहमी बंटवारा व कब्जा



Scanned with CamScanner

काश्त के अनुसार खाता तकशीम करवाने एवं अपने विभाजित हिस्सा तक आवागमन के लिए रास्ता आदि का अंकन करवाने का कानूनी अधिकारी है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 6 ता 9 की ओर से इकबाल जवाब पेश किया गया। प्रतिवादी सं0 11 जरिये वकील हाजिर आया। प्रतिवादी सं0 1, 5 बावजूद तामिल उपस्थित नहीं आए इसलिए उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। चूंकि प्रतिवादी सं0 2 ता 4 के नाम राजस्व रिकार्ड में भूमि दर्ज नहीं होने के कारण तामिल करवाये जाने की कोई आवश्कता नहीं है। प्रतिवादी सं0 12 को वकील वादी ने तर्क अंकित किया। वकील वादी एवं प्रतिवादीगण ने विभाजन प्रस्ताव पर सहमति जाहिर की।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि पक्षकारान मुताबिक वाहमी बंटवारा के उनके दी गई भूमि पर काश्त करते आ रहे है। उसी अनुसार खाता लगान अलग अलग कायम किये जाने हेतु निवेदन किया।

विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण मे वादी ने रोही मोजा घोटड़ा खालसा के खाता सं0 45/48 के खसरा सं0 17 की 4.1740है0, खसरा सं0 20 की 5.3110 है0, खसरा सं0 59 की 10.5470 है0, खसरा सं0 63 की 5.8170 है0, खसरा सं0 78 की 5.7410 है0 कुल खसरा 5 की 31.5900 है0 बारानी वादभूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा के अनुसार खातेदारी भूमि का का अच्छी मन्दी के हिसाब से खाता विभाजन का प्रस्ताव तैयार किया जाकर तहसीलदार भादरा द्वारा मुताबिक अपनी रिर्पोट व मय रगंदार नक्शा दिनांक 02.05.2022 को विभाजन प्रस्ताव पेश हुआ पक्षकारान को सुना गया। वकील वादी तथा वकील प्रतिवादीगण ने विभाजन प्रस्ताव पर सहमति दर्ज की। अतः तहसीलदार भादरा के द्वारा रोही मोजा घोटड़ा खालसा का प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के आधार पर पक्षकारान का विभाजन एवं खाता व लगान निम्न प्रकार से विभाजित किया जाता है:-

**विभाजन : रोही मोजा घोटड़ा खालसा**

**मनोहरी पत्नी हरदयाल सुमित्रा पुत्री हरदयाल काशीराम घड़सीराम जगदीश प्रसाद जिन्द्रपाल दाताराम महेन्द्रसिंह रामकरण रामसिंह पि0 हरदयाल 2.645है0 बहिब रामजस पुत्र हरदयाल 3.172है0 जाति जाट सा0 डाबडी छोटी खातेदार** :- रोही मौजा घोटडा खालसा के ख0स0 63 रकबा 5.817है0 बा.।

**इन्द्रोदेवी पुत्री उदराम जाति जाट सा0 देह खातेदार** :- रोही मौजा घोटड़ा खालसा के ख0स0 59/5 रकबा 1.507है0, ख0स0 78/5 रकबा 0.820है0, ख0स0 17/5 रकबा 0.420है0, ख0स0 20/5 रकबा 0.935है0 कुल किता 4 कुल रकबा 3.682है0 बा.।

**गायत्री पुत्री उदराम जाति जाट सा0 देह खातेदार** :- रोही मौजा घोटडा खालसा के ख0स0 59/7 रकबा 1.506है0, ख0स0 78/7 रकबा 0.821है0, ख0स0 17/7 रकबा 0.200है0, ख0स0 20/7 रकबा 1.555है0 कुल किता 4 का कुल रकबा 3.682 बारानी ।



Scanned with CamScanner

प्रदीप चौधरी पुत्र बलवन्त सिंह जाति जाट सा0 देह खातेदार :– रोही मौजा घोटडा खालसा के ख0स0 59/3 रकबा 1.507है0, ख0स0 78/3 रकबा 0.820है0, ख0स0 17/3 रकबा 0.720है0, ख0स0 20/3 रकबा 0.635है0 कुल किता 4 का कुल रकबा 3.682 बारानी ।

प्रमेश्वरी पत्नी उदराम जाति जाट सा0 देह खातेदार :– रोही मौजा घोटडा खालसा के ख0स0 59/1 रकबा 1.507है0, ख0स0 78/1 रकबा 0.820है0, ख0स0 17/1 रकबा 1.100है0, ख0स0 20/1 रकबा 0.255है0 कुल किता 4 का कुल रकबा 3.682 बारानी ।

रणधीर पुत्र उदराम जाति जाट सा0 देह खातेदार :– रोही मौजा घोटडा खालसा के ख0स0 59/2 रकबा 1.507है0, ख0स0 78/2 रकबा 0.820है0, ख0स0 17/2 रकबा 0.900है0, ख0स0 20/2 रकबा 0.455है0 कुल किता 4 का कुल रकबा 3.682 बारानी ।

रोहताश पुत्र उदराम जाति जाट सा0 देह खातेदार :– रोही मौजा घोटडा खालसा के ख0स0 59/4 रकबा 1.507है0, ख0स0 78/4 रकबा 0.820है0, ख0स0 17/4 रकबा 0.550है0, ख0स0 20/4 रकबा 0.805है0 कुल किता 4 का कुल रकबा 3.682 बारानी ।

सरस्वती पुत्री उदराम जाति जाट सा0 देह खातेदार :– रोही मौजा घोटडा खालसा के ख0स0 59/6 रकबा 1.506है0, ख0स0 78/6 रकबा 0.820है0, ख0स0 17/6 रकबा 0.284है0, ख0स0 20/6 रकबा 1.071है0 कुल किता 4 का कुल रकबा 3.681 बारानी ।

किसी भी खातेदार का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो विभाजन के बाद रहन विभाजित हिस्सा पर शिफ्ट कर यथावत रखा जावे। इसी इनुसार पर्चा डिक्री संलग्न कर जारी की जावे।

निर्णय आज दिनांक 29.11.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा
(शकुन्तला चौधरी) RAS
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़



Scanned with CamScanner